स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17—9—14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक क्र. 2 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री पी. एन. त्यागी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण क्रमांक 47/अ—6/11—12 में पारित आदेश दिनांक 20.4.12 तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जो अभी लंबित है । एस.डी.ओ. के अंतरिम आदेश दिनांक 27—6—14 के विरूद्ध कैलाश चन्द्र जैन द्वारा इस न्यायालय में निगरानी क्र. 2052—दो/14 पेश की गई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7—7—14 को स्थगन आदेश जारी कर एस.डी.ओ. के आदेश को तीन माह तक स्थगित करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये गये हैं तथा अभिलेख आहूत किया गया है इसके उपरांत भी एस.डी.ओ. द्वारा दिनांक 4—9—14 को पत्र जारी कर आवेदक के नाम किये गये नामांतरण को निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं जिसके पालन में तहसीलदार द्वारा आवेदक का नाम हटाकर भूमि पूर्व भूमिस्वामी के नाम अंकित कर दी गई है जबकि इस न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अधीनस्थ न्यायाय को किसी प्रकार की कार्यवाही का अधिकार नहीं रह जाता है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टात 1959 एम.पी.एल.जे. 85 एवं 1986 आर.एन. 13 का हवाला दिया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण तहसीलदार द्वारा न किया जाकर	17—9—14

शाक्षेमुग्वा-80-फासेग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3135–दो / 14 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा किया गया है । 3– अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता भी इस बात से सहमत हैं कि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करना अधीनस्थ न्यायालय का कर्त्तव्य है । 4– उभयपक्षों के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रकरण कमांक 47 / अ–6 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 20.4.12 के विरूद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष अपील लंबित है और एस.डी.ओ. के अंतरिम आदेश दिनांक 27–6–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई निगरानी क्र. 2052–दो / 14 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7–7–14 को स्थगन आदेश जारी कर एस.डी.ओ. के आदेश को तीन माह तक स्थगित करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये गये हैं तथा अभिलेख आहूत किया गया है । उक्त आदेश आज भी प्रभावी है । ऐसी स्थिति में ना तो अनुविभागीय अधिकारी को और ना ही तहसीलदार या अन्य अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार की कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं रह जाती है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टात 1959 एम.पी.एल.जे. 85 एवं 86 आर.एन.13 अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1959 एम.पी.एल.जे. 85 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – " Stay Order – Passing of stay order bars jurisdiction of Court to proceed with case-Subsequent proceeding is null and void" इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1986 आर.एन. 13 में राजस्व मंडल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – " म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) –धारा 5– उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव – स्थगन आदेश के पश्चात नामांतरण आदेश–अवैध	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षक , एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है – स्थगन आदेश न केवल पक्षकारों पर किंतु न्यायालयों पर भी बाध्यकारी है ।" अतः प्रकरण की तथ्यों एवं उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 7–7–14 के प्रभावी होते हुए भी तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के पत्र दिनांक 4–9–14 के आधार पर दिनांक 4–9–14 को ही प्रश्नाधीन भूमि पर से आवेदक का नाम हटाकर पूर्व भूमिस्वामियों का नाम दर्ज करने का जो आदेश दिया है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है और इसी स्तर पर निरस्ती योग्य है । परिणामतः उसे निरस्त किया जाता है और तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे राजस्व अभिलेखों में दिनांक 4–9–14 के पूर्व की स्थिति बनाये रखें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

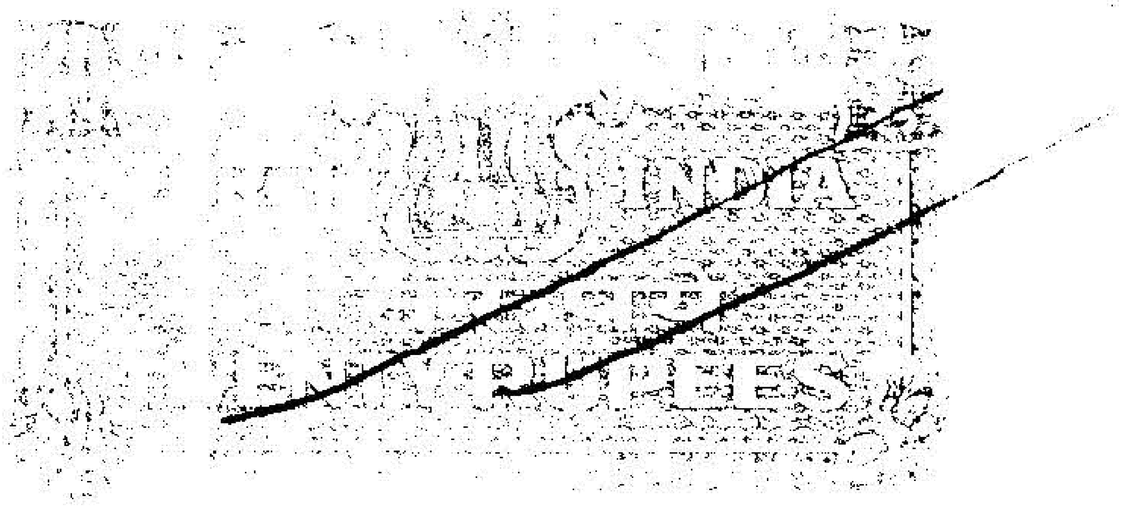

बनवारी लाल मीणा तनय रामनारायण मीणा निवासी मुख्त्यारगंज सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०.. ....निगराकार

बनाम

1. महेश जैन तनय मदन लाल जैन निवासी पुराना पावर हाउस चौक सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०